

उच्च टियर II पूंजी में ऋण पूंजी लिखत को शामिल करने के लिए मानदंड

बैंकों द्वारा बांड/ डिबेंचर के रूप में जारी किए गए ऋण पूंजी लिखत पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए उच्च टियर II पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों को पूरा करेंगे।

1. उच्च टियर II पूंजी लिखत जारी करने की शर्तें

i) जारी करने की मुद्रा

बैंक भारतीय रुपये में उच्च टियर II लिखत जारी करेंगे। बैंक इन लिखतों को भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना विदेशी मुद्रा में जारी कर सकते हैं, बशर्ते कि निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाए:

(ए) विदेशी मुद्रा में जारी किए गए उच्च टियर II लिखतों की कुल राशि अप्रभावित टियर I पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पात्र राशि की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को टियर I पूंजी की राशि के संदर्भ में, गुडविल और अन्य अमूर्त आस्तियों की कटौती के बाद लेकिन निवेश की कटौती से पहले की जाएगी।

बी) जुटाई गई राशि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा उधार के लिए मौजूदा सीमा के अतिरिक्त होगी।

सी) भारतीय रुपये में जुटाए गए उच्च टियर II लिखतों में एफआईआई द्वारा निवेश कॉरपोरेट ऋण लिखत में निवेश की सीमा से बाहर होगा। इन लिखतों में एफआईआई द्वारा निवेश 500 मिलियन अमरीकी डालर की एक अलग सीमा के अधीन होगा।

ii) राशि

जुटाए जाने वाले उच्च टियर II लिखतों की राशि का निर्णय बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

iii) सीमा

टियर II पूंजी के अन्य घटकों के साथ उच्च टियर II लिखत टियर I पूंजी के 100% से अधिक

नहीं होनी चाहिए। उक्त सीमा गुडविल और अन्य अमूर्त आस्ति की कटौती के बाद लेकिन निवेश की कटौती से पहले टियर I पूंजी की राशि पर आधारित होगी।

iv) परिपक्वता अवधि

उच्च टियर II लिखतों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 15 वर्ष होगी।

v) ब्याज दर

निवेशकों को देय ब्याज या तो एक निश्चित दर पर या बाजार द्वारा निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में फ्लोटिंग दर पर हो सकता है।

vi) विकल्प

उच्च टियर II लिखतों को 'पुट ऑप्शन' या 'स्टेप-अप ऑप्शन' के साथ जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, बैंक निम्नलिखित शर्तों में से प्रत्येक के सख्त अनुपालन के अधीन 'कॉल ऑप्शन' के साथ लिखत जारी कर सकते हैं:

- लिखत के कम से कम दस वर्षों तक चलने के बाद लिखत पर क्रय विकल्प की अनुमति है;
- क्रय विकल्प का प्रयोग केवल भारतीय रिजर्व बैंक (विनियमन विभाग) के पूर्वानुमोदन से ही किया जाएगा। क्रय विकल्प का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय, आरबीआई अन्य बातों के अलावा, क्रय विकल्प के प्रयोग के समय और क्रय विकल्प के प्रयोग के बाद, बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा।

vii) लॉक-इन क्लॉज

ए) उच्च टियर II लिखतों को लॉक-इन क्लॉज के अधीन किया जाएगा, जिसके अनुसार जारीकर्ता बैंक परिपक्वता पर भी ब्याज या मूलधन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि

- बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता से कम है, या
- इस तरह के भुगतान के परिणाम से बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता से नीचे या शेष रह जाता है।

बी) हालांकि, बैंक आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से ब्याज का भुगतान कर सकते हैं जब इस तरह के भुगतान के प्रभाव के परिणामस्वरूप निवल हानि हो सकती है या निवल हानि में

वृद्धि हो सकती है बशर्ते सीआरएआर विनियामकीय मानदंड से ऊपर रहे। इस प्रयोजन के लिए 'निवल हानि' का अर्थ या तो होगा (ए) पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि; या (बी) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुई हानि।

सी) देय ब्याज राशि और शेष बकाया राशि को बाद के वर्षों में भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि बैंक उक्त विनियामकीय आवश्यकता का अनुपालन करता हो। ऐसे अवैतनिक ब्याज और मूलधन का भुगतान करते समय, बैंकों को बकाया मूलधन और ब्याज पर संबंधित उच्च टियर II बांडों की कूपन दर से अनधिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने की अनुमति है।

डी) लॉक-इन क्लॉज के आह्वान के सभी उदाहरणों को जारीकर्ता बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के विनियमन विभाग और पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक को अधिसूचित किया जाएगा।

viii) दावे की वरिष्ठता

उच्च टियर II लिखतों में निवेशकों के दावे इस प्रकार होंगे:

- टियर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से बेहतर; तथा
- निम्न टियर II और जमाकर्ताओं सहित अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन। उच्च टियर II में शामिल विभिन्न लिखतों के निवेशकों के बीच, दावे एक दूसरे के समान होंगे।

ix) छूट

उच्च टियर II लिखतों को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए एक प्रगतिशील छूट के अधीन किया जाएगा, जैसा कि उनके कार्यकाल के पिछले पांच वर्षों में दीर्घकालिक अधीनस्थ ऋण के मामले में होता है। जैसे-जैसे वे परिपक्वता के करीब आते हैं, इन लिखतों को टियर II पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र होने के लिए नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए अनुसार प्रगतिशील छूट दी जाएगी।

लिखतों की शेष परिपक्वता	छूट की दर (%)
एक वर्ष से कम	100
एक वर्ष और अधिक लेकिन दो वर्ष से कम	80
दो वर्ष और अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम	60
तीन साल और अधिक लेकिन चार साल से कम	40
चार साल और उससे अधिक लेकिन पांच साल से कम	20

x) मोचन

उच्च टियर ॥ लिखत धारक की पहल पर प्रतिदेय नहीं होंगे। सभी मोचन केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमन विभाग) के पूर्व अनुमोदन से किए जाएंगे।

xi) अन्य शर्तें

(ए) उच्च टियर ॥ लिखत पूरी तरह से चुकता, असुरक्षित और किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त होंगे।

(बी) एफआईआई द्वारा उच्च टियर ॥ लिखतों में निवेश ऋण लिखतों में निवेश के लिए ईसीबी नीति में निर्धारित सीमा के भीतर होगा। इसके अलावा, अनिवासी भारतीय भी मौजूदा नीति के अनुसार इन उपकरणों में निवेश करने के पात्र होंगे।

(सी) बैंक लिखतों को जारी करने के संबंध में सेबी/ अन्य विनियामकीय प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों, यदि कोई हों, का पालन करेंगे।

2. रिज़र्व आवश्यकताओं का अनुपालन

(i) जारी करने के लिए बैंक या अन्य बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा एकत्र की गई और उच्च टियर ॥ पूंजी लिखतों के आवंटन को अंतिम रूप देने के लिए लंबित रखी गई निधियों को आरक्षित आवश्यकताओं की गणना के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाएगा।

(ii) बैंक द्वारा उच्च टियर ॥ लिखतों के माध्यम से जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देनदारियों की गणना के लिए देयता के रूप में माना जाएगा और, इस तरह, सीआरआर/ एसएलआर आवश्यकताओं को आकर्षित करेगा।

3. रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

उच्च टियर ॥ लिखत जारी करने वाले बैंक मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें ऊपर दिए गए पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट निर्गम की शर्तों सहित उठाए गए ऋण का विवरण प्रस्ताव की एक प्रति के साथ दस्तावेज़ जारी होने के तुरंत बाद दिया जाएगा।

4. अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी उच्च टियर II लिखतों में निवेश

- इन निदेशों के पैराग्राफ 14 में निर्धारित बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के बीच पूंजी की प्रतिधारिता के लिए 10 प्रतिशत की समग्र सीमा के अनुपालन की गणना करते समय अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए अपर टियर II लिखतों में बैंक के निवेश की गणना पूंजी की स्थिति के लिए पात्र अन्य लिखतों में निवेश के साथ की जाएगी ।
- अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी अपर टियर II लिखतों में बैंक के निवेश से इन निर्देशों के पैराग्राफ 14 (iv) में निर्धारित पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए निर्धारित जोखिम भरिता लागू होगी।

5. अपर टियर II लिखतों के बदले अग्रिमों का अनुदान

बैंक उनके द्वारा जारी किए गए उच्च टियर II लिखतों की जमानत के बदले अग्रिम प्रदान नहीं करेंगे।

6. तुलन पत्र में वर्गीकरण

बैंक द्वारा उच्च टियर II लिखतों को जारी करके बढ़ाई गई राशि को तुलन पत्र में व्याख्यात्मक नोटों/ टिप्पणियों के साथ-साथ अनुसूची 4-'उधार' के अंतर्गत बांड/ डिबेंचर के रूप में जारी किए गए संकर कर्ज पूंजी लिखतों के अंतर्गत इंगित किया जाएगा।